

#25 वोट वापसी प्रधानमंत्री

यह प्रस्तावित क़ानून प्रधानमंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाता है। इस क़ानून को लोकसभा से पास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेज़ेट में छाप सकते हैं। यह क़ानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे बदलना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हॉं दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हॉं SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि एक सुझाव है। इस क़ानून का पूरा ड्राफ़्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/VvpPm](https://tinyurl.com/VvpPm)



प्रधानमंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए हैं

- (1) प्रधानमंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर के सामने ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 25,000 रु का शुल्क लेकर उसे प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और ऐफिडेविट को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा।
- (2) पदासीन प्रधानमंत्री निचे दी गयी दो स्थितियों में से अपनी पसंद के अनुसार उच्च संख्या को चुन सकते हैं :
 - नागरिकों द्वारा दी गयी स्वीकृतियों की संख्या, अथवा
 - प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदों को चुनाव में प्राप्त हुए मतों का कुल योग।
- (3) यदि किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या पदासीन प्रधानमंत्री की स्वीकृतियों या प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदों को प्राप्त मतों की कुल संख्या से 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तो सांसद सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।

स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि, X मौजूदा पीएम है, और उसे लोकसभा में 300 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिये कि, इन 300 सांसदों को लोकसभा चुनाव में कुल 33 करोड़ मत प्राप्त हुए थे, और X को नागरिकों से सीधे प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों की संख्या 30 करोड़ है।

3. मान लीजिये, Y पीएम का एक प्रत्याशी है और उसे 32 करोड़ नागरिक स्वीकृतियां दे देते हैं तो भी X पीएम बना रहेगा, क्योंकि X को जिन सांसदों का समर्थन प्राप्त है, उनके मतों का योग 33 करोड़ है। किन्तु यदि Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती हैं तो X अपना इस्तीफा दे सकता है, या नहीं भी दे सकता है।
4. अब मान लीजिये, Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती हैं, किन्तु यदि X पीएम के रूप में अच्छा काम कर रहा है, अतः X की स्वीकृतियां बढ़कर 35 करोड़ हो जाती हैं, तो भी X पीएम बना रहेगा।